रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 1975/माघ 15, 1896
No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 1975/MAGHA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February 1975

S.O. 76(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of Rajasthan in that State.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 31st March, 1975.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

1. Hay and Grass.
2. Karab and Karabi of Jowar, Maize and Bajra.
3. Moth, Moth chara and Moth Churi.
4. Gowar.
5. Rice Husk.

[No. 32-6/74-L. D. III]

I. J. NAIDU, Addl. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1975

का० आ० 76 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (ज), (झ) और (ञ) के अधीन आदेश देने के लिये उसकी प्रदत्त शक्तियों इससे उपाबद्ध अनुसची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा भी उस राज्य में प्रयोक्तव्य होंगी ।

यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 31 मार्च, 1975 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशुचारे की किस्में

1. सूखी घास तथा घास
2. ज्वार, मक्का तथा बाजरे की करब और करबी
3. मोठ, मोठ-चारा तथा मोठ चूरी
4. ग्वार
5. चावल की भूसी

[सं० 32-6/74-एल० डी०-3]

आई० जे० नायडू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975